अनुरोध किया जाता है तो अतिरिक्त स्थानों पर सुरक्षा के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

कम्पनी श्रमिकों के लिए विभिन्न सुविधाओं की अलग से कलोनियां उपलब्ध कराएगी तथा सभी ठेकेदारों को ठकेदारी प्रावधानों के माध्यम से कम्पनी के पर्यावरणीय, स्वास्थय एवं सुरक्षा विनियमों का स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व बैंक समूह के विनियमों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं जिनमें स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सम्मिलित है, के लिए बाध्य करेगी। इन विनियमों के उल्लघनों का परिणाम जुर्माना तथा/ठेकों की समाप्ति होगा।

2.6.2 श्रमिकों का आवागमन

कई पणधारियों को सफाई की कमी तथा परियोजना में कार्य के लिए आने वाले प्रवासी श्रमिकों के आवागमन से स्वास्थय से जुड़ी समस्याओं के बारे मे चिन्ता है। उन्हें यह भी डर है कि अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन से स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सम्भाव्य प्रभावों को कम करने के लिए कम्पनी अपने श्रम ठेकों में यह शर्त लगाएगी कि भाड़े पर लेने के लिए पहले स्थानीय श्रमिंकों को तथा बाद में पहाड़ी/नेपाली श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्पनी अपने सभी प्रवासी श्रमिकों को रहने के लिए श्रमिक कैम्पों की स्थापना करेगी। जहां तक सम्भव हो सकेगा श्रमिक कैम्पों को निकटम पुर्नस्थापन से उचित दूरी पर स्थापित किया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों के लिए नागरिक सुविधाओं में शौचालयों , सीवेज एकत्रीकरण प्रणालियों, संचारी रोग जागरूता कार्य क्रमों निर्माण के अपशिष्ट जल के उपचार संयत्र का प्रावधान

2.6.3 श्रमिकों से जन स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव

संभावित स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को कम करने के लिए कम्पनी को सभी अनुबंधित व्यक्तिगत बचावी उपकरण का प्रयोग सुनिश्चित करेगी। कम्पनी प्रीनि में एक अस्पताल का निर्माण करेगी तथा स्वास्य प्रंबधन योजना को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

परियोजना कम्पनी अस्पताल के अतिरिक्त एक ऐम्बुलैंस/चलती फिरती डिस्पैंन्सरी युनिट (जोकि जगतसुख पर खड़ी होगी), उपलब्ध करवाएगी। कम्पनी, आई.एफ.सी. की सहायता से समुदाय जागरूकता का आयोजन तथा एच.आई.वी/एड्स, मलेरिया, तपेदिक तथा अन्य संचारीय रोगों के लिए बचाव कार्यक्रम करवाएगी जिनके प्रवासी श्रमिकों द्वारा फैलाए जाने का खतरा हो सकता है। कम्पनी ठेकेदारों से यह अपेक्षा करेगी कि उन्हे काम पर लगाने से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए।

2.6.4 ठोस अपशिष्ट निपटान

परियोजना स्थल पर अलग डिब्बों में नियमित एकत्रीकरण के लिए सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन संसाधनों की पहचान कर ली गई है। सभी घरेलु जैवनिम्नीयोग्य कचरे को निर्माण कैम्प स्थलों से मिट्टी के गढढों में खाद में परिवर्तन करने के लिए एकत्रित किया जाएगा। प्रयोग में लाए जा चुके तेल को हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण बचाव तथा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं के माध्यम से निपटाया जाएगा। निर्माण गतिविधियों को आरम्भ करने से पहले कम्पनी द्वारा सुरक्षा तथा ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवहारिक कोड तैयार किए जाएंगे तथा उन्हें लागू किया जाएगा।

2.6.5 अपशिष्ट जल उपचार

कम्पनी कैम्प स्थलों तथा कालोंनियों से सीवेज के लिए सीवेज उपचार संयत्र उपलब्ध कराएगी। अनुरक्षण कर्मशाला से आने वाले अपशिष्ट जल के लिए एक अलग से उपचार संयत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

2.6.6 ध्वनि प्रदुषण के कारण प्रभाव

उपकरणों तथा गाड़ियों की आवाजाही से क्षेत्र की शान्ति तथा ध्वनि स्तरों की बढ़ोत्तरी से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी की ढांचो को गिराने तथा हटाने का कार्य यदि कोई हो तो केवल दिन के समय तक सीमित रखा जाएगा। अन्य उपायों में मफलरों, नीवों पर रबड़ की पैडिंग का प्रावधान, डीजल जनरेटरों जैसी उच्च्व ध्वनि उत्पादक मशीनों के ध्वनि नियंत्रण एवं कम्पनों के लिए ध्वनिक बाड़ों का प्रावधान सम्मिलित है। ध्वनि स्तरों को न्यूनतम करने के लिए अग्रिम ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाएगा। जहां तक सम्भव होगा यातायात को परियोजना क्षेत्र तक रखा जाएगा पुर्नस्थापनों के निकट सड़कों के साथ रूकावट चदरें उपलब्ध कराई जाएंगी। कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनी की अपनी तथा लीज़ पर ली गई गाड़ियों का नियमित अनुरक्षण किया जाए।

2.6.7 ब्लास्टिंग एवं भूमि कम्पन

परियोजना क्षेत्र में विस्फोट के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए,परियोजना कम्पनी डिले डिटोनेटरों जैसे विशिष्ट ब्लास्टिंग तकनीकों तथा भूमि कम्पनों को सीमित करने वाले विस्फोटकों का प्रयोग सुनिश्चित करेगी। भूमि कम्पनों की नियमित मानिटियरिंग की जाएगी। परियोजना कम्पनी ग्रामीणों को ब्लास्ट के समय के बारे में सूचित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि पशु तथा पैदल चलने वाले ब्लास्टिंग स्थानों पर उस समय न जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्लास्टिंग समय के दौरान क्षेत्र में कोई पशु या पैदल चलने वाला क्षेत्र में प्रवेश न करें, इन स्थलों पर सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाएगा।

2.6.8 जलाश्य सुरक्षा

ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाश्य की आधार से पूर्ण जलाश्य स्तर की मापी गई उंचाई क्रमशः 12 मी० तथा 14 मी० है। फ्री बोर्ड प्रावधानों के साथ, उंचाईयां क्रमशः 14 मी० एवं 14.5 मी० हैं। ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाश्य दोनों के ढांचे इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैमस् द्वारा विनिर्दिष्ट उंचाई मापदण्ड के संदर्भ में निम्न खतरे वर्ग के अंदर हैं। यद्यपि जल भण्डारण क्षमता के संदर्भ में, ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाश्य दोनों की भण्डारण क्षमता क्रमश 0.125 तथा 0.195 मिलियन घन मी० है जोकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैमस् की 0.1 से एक मिलियन घन मी० क्षमता के मध्यम खतरे वर्ग में आते हैं।

जल भण्डारण ढाचों की सुरक्षा के लिए उपायों में परियोजना के लिए प्रस्तावित जल भण्डारण ढांचों की सुरक्षा की पुष्टि के लिए हाइड्रोलिक मॉडल जांच सम्मिलित है। कम्पनी ढाचों की सुरक्षा की पुष्टि के लिए ऐसे हाइड्रोलिक मॉडल परीक्षण करवा रही है। परियोजना कम्पनी अपवर्तन ढांचा सुरक्षा डिजाईन की नियमित जांच एवं अनुरक्षण करेगी। कम्पनी ने एक स्वतंत्र अभियन्ता लेहमेयर इंटरनेशनल को डिजाइन तथा परियोजना ढांचों के निर्माण की समीक्षा के लिए नियुक्ति की है।स्वंतत्र अभियन्ता परियोजना को ऋण देने वालों को डिजाइन, निर्माण एवं संचालन स्तरों पर सभी ढांचों की सुरक्षा के परिणामों की समीक्षा के बारे में प्रावद्यिक रिपोर्ट देगा। कम्पनी परियोजना के चालू होने से पहले किसी आपातकालीन स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा नियमित जांचों के लिए बनावटी परीक्षणों के तंत्रों के साथ आपातकालीन प्रत्युत्तर योजना के स्थान पर एक अच्छी प्रकार की रिहर्सल को सुनिश्चित करेगी।

2.6.9 प्राकृतिक जोखिमों से खतरा

प्राकृतिक संकट से परियोजना घटकों के ढांचे टूट सकते है जिसके फलरूवरूप आसपास के क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक जोखिमों से ढांचों की सुरक्षा के लिए परियोजना ढांचों के डिजाइन और इंजीनियर के दौरान पर्याप्त इंजीनियरिंग मापदण्डों को सम्मिलित करने को कम्पनी द्वारा सुनिश्चित करेगी।

परियोजना ढांचों को हिमालय क्षेत्र (क्षेत्र-V) के लिए उच्चतम लागू सुरक्षा कारकों के ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाने की आवश्यकता है। कम्पनी ने रूढ़की विश्वविद्यालय, भारत को सुंरगों पर भूकम्पीय प्रभावों के आंकलन के लिए अध्ययन करने का आदेश दे दिया है तथा इन अध्ययनों के परिणामों को निर्माण सुरंग के डिजाइन में जोड़ा जाएगा।

2.7 जीविकोपार्जन और रोजगार

2.7.1 सेब की फसल पर प्रभाव

पणधारियों ने परियोजना प्रभावित गांवों में वाहनों के आवागमन तथा निर्माण गतिविधियों द्वारा धुल के बढ़ने के कारण सेब तथा अन्य फल वृक्षों के उत्पादन में कमी का मामला उठाया है। तथापि सड़क उपर से तारकोल पर्त वाली होगी, गाड़ियों के आवागमन के कारण धुल के स्तर में मामूली वृद्धि की प्रत्याशा हो सकती है। सड़कों के निर्माण के समय कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी की 3 से 4 धण्टों के अन्तराल पर जल का छिड़काव किया जाए।

अतिरिक्त न्यूनीकरण उपायों में यातायात प्रबन्धन, चलते समय गाड़ियों में निर्माण सामग्री को उचित प्रकार से ढ़कना तथा समुदाय के लिए फसल बीमा के विकल्प सम्मिलित हैं। कम्पनी, स्थापित किए गए शिकायत निवारक तंत्र के माध्यम से फसल के उत्पादन पर पड़े किसी और तथा सभी दावों पर विचार करेगी।

2.7.2 आलू के बीज की उपलब्धता

परियोजना के द्वारा हमटा गांव में सरकारी आलू की खेती वाली भूमि के अधिग्रहण के कारण आलू के बीजों की हानि के मुआवजे के लिए, कम्पनी ग्राम पंचायतों को समान गुणवत्ता वाले बीज समान दरों पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगी।

2.7.3 रोजगार के अवसर

परियोजना प्रभावित ग्रामवासियों की यह चिंता है कि उन्हे वरीयता पर रोजगार के अवसर प्रदान नही किए जाएंगे।

कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजना प्रभावित परिवारों तथा स्थानीय समूदायों को रोजगार में वरीयता पर अवसर प्रदान किए जाएं । इन मामलों को ई एस आई ए की पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानिटरिंग एवं प्रबंधन योजना में दी गई पुर्नवास कार्यवाही योजना में व्यक्त किया गया है तथा इस रिपोर्ट के अनुभाग 3 में उपलब्ध कराए गए प्रारूप ई एस आई ए के परिशिष्ट में विस्तार पुर्वक बताया गया है।

2.7.4 सांस्कृतिक पहलू और पर्यटन पर प्रभाव

कुछ पणधारियों ने यह चिन्ताएं व्यक्त की है कि परियोजना से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। ई आर एम द्वारा आयोजित सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि पर्यटन से संबधित व्यापार (अर्थात्, कुली, ट्रैकिंग गाइड, होटल चलाने वाले तथा टैक्सी चलाने वाले) पर स्थानीय जनसंख्या की निर्भरता काफी कम पाई गई है। जबकि निर्माण गतिविधियों से परियोजना क्षेत्र में अस्थाई रूप से ट्रैकिंग को हतोत्साहित होने की सम्भावना है,

ऐलाइन तथा दुहंगन बैराज स्थलों की सड़कों के निर्माण से आगुन्तकों के साथ साथ ट्रैकर्स तथा पर्यटक आकर्षित होगें तथा इस प्रकार स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होगें।

2.7.5. भूमि के बदले भूमि का मुआवजा

कुछ पणधारियों द्वारा चिंताएं उठाई गई है कि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए ग्रामवासियों की भूमि के बदले भूमि के मुआवजे का आंमत्रण नहीं दिया गया। कम्पनी के अनुसार, कम्पनी ने भूमि के बदले भूमि देने की पेशकश की थी। तथापि, इन ग्रामवासियों ने नकद प्रतिपूर्ति के लिए वरीयता में इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया था।

फिर भी, जैसाकि ई.एस.आई.ए में नोट किया गया है जो परिवार अधिग्रहण के बाद अपनी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि गवाएंगें, उनकी पहचान अतिसंवेदनशील परिवारों के रूप में की जाएगी और परियोजना इन परिवारों को नकद मुआवजा या अपनी गंवाई गई भूमि के आकार, मूल्य और गुणवत्ता के अनुरूप वैकल्पिक भूमि का विकल्प देगी। कम्पनी इस उद्देश्य के लिए स्थानीय सरकार के राजस्व विभाग की सहायता लेने की कोशिश करेगी।

2.8 परियोजना को स्थानीय सहायता

2.8.1 शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

कुछ पणधारियों ने यह प्रश्न किया है कि परियोजना से प्रभावित समुदायों को क्या लाभ होगें। अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त कम्पनी ने प्रीनि गांव की पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्राइमरी स्कूल का भवन बनवाने की पेशकश की है। कम्पनी परियोजना कर्मचारियों के लिए एक स्कूल का संचालन करेगी जो कि प्रीनि तथा जगतसुख पंचायतों के बच्चों के लिए भी खुला रहेगा। प्रीनि तथा जगतसुख गावों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जांएगी।

2.8.2 परियोजना सड़कों पर सार्वजनिक आवागमन

निर्माण अवधि के दौरान कुछ सीमाओं के अन्दर तथा सभी सुरक्षा नियमों एवं विनियमों को अपनाते हुए परियोजना की सड़कों पर पैदल चलाने वालों तथा गाड़ियों के आवागमन की छूट होगी। कम्पनी के सुरक्षा कार्मिक उनके सुरक्षित प्रयोग के लिए इन सड़कों तक पहुंच को व्यवस्थित करेंगे।

2.8.3 शमशान भूमि तक पहुंचने के रास्ते

प्रभावित गावों के सदस्यों द्वारा अनुरोध के प्रत्युत्तर में कम्पनी ने (एक बार प्रीनि पंचायत द्वारा बिना पेड़ों वाली सभी संविधानिक अनुमोदनों सहित भूमि उपलब्ध

करवाने पर) शमशान भूमि तक पहुंचने के लिए मार्ग का निर्माण करने की बात मान ली है।

2.8.4 सार्वजनिक प्रकाश और बिजली का प्रावधान

प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अनुरोध करने के प्रत्युत्तर में, कम्पनी ग्राम पंचायत के साथ हस्ताक्षर की गई शर्तों के अनुसार गांवों में सड़कों पर प्रकाश उपलब्ध करवाएगी।

2.8.5 धार्मिक भावनाएं

दुहंगन नदी के धार्मिक महत्व के बचाव के लिए चिंताएं उठाई गई हैं। कम्पनी ग्रामीणों की सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है। समुदाय के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों पर बाधा को रोकने के लिए निर्माण अनुसूचियों पर चर्चा करेगी। कम्पनी, जहां कहीं लागू होगा, विश्व बैंक की सांस्कृतिक सम्पति पर प्रावधानों का अनुपालन भी करेगी।

2.8.6 जगतसुख अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैद्यता

जैसा कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा अपेक्षित है, कम्पनी ने प्रीनि तथा जगतसुख गांव से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्राप्त किया (प्रतिलिपियां क्रमशः परिशिष्ट XV तथा XVI पर उपलब्ध है)। इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य सरकार ने परियोजना की स्थापना के लिए अपनी सहमति दी है। बाद के सभी केन्द्र तथा राज्य सरकार के अनुमोदनों को इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त किया गया।

2.8.7 सार्वजनिक सर्मथन

प्रीनि की गांव समिति ने कम्पनी के साथ परियोजना के पक्ष में एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया है। इसी प्रकार जगतसुख की महिला समूह तथा पर्याप्त संख्या में ग्रामीणों में परियोजना के पक्ष में हस्ताक्षर किए हैं (संदर्भ परिशिष्ट XVII देखें)।

2.9 कम्पनी की प्रतिबद्धता

कम्पनी ने प्रस्तावित परियोजना से संबधित पर्यावरणीय और सामजिक न्यूनीकरण उपायों के लिए सभी पहचानित सम्भाव्य विपरीत पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को कम करने की प्रतिबद्धता की है।

कम्पनी को आई.एफ.सी. की वित्तपोषण की एक शर्त के रूप में विश्व बैंक समूह पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा नीतियों की अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी पर्यावरण एवं सामाजिक निष्पादन की एक स्वतंत्र अभियन्ता द्वारा स्वतंत्र मानिटरिंग होगी तथा स्वतंत्र अभियन्ता की पर्यावरणीय विशेषज्ञ, जो इसके साथ क्रमशः सभी परियोजना सिविल कार्यो की सुरक्षा तथा

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबन्धन एवं मानिटरिंग योजना के कार्यान्वयन को सत्यापित करेगा। परियोजना का पर्यावरण एवं सामाजिक सैल(CELL) भी, समुदाय विकास योजना के माध्यम से परियोजना के मानिटरिंग में परियोजना प्रभावित लोगों की भागीदारी को भी शिकायत निवारक सैल, स्वतंत्र अपील तंत्र आदि, के द्वारा सम्मिलित करेगा । आई एफ सी भी परियोजना के क्रियान्वयन के साथ सभी लागू स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरणीय, एवं सामाजिक नीतियों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ साथ परियोजना के पर्यावरण एवं समाजिक सैल का निष्पादन करेंगे।

2.9.1 पुर्नवास कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन

पर्यावरणीय एवं सामजिक प्रबन्धन एवं मानिटिरिंग योजना के अन्तर्गत सभी मानिटिरिंग भागीदारी से होगी तथा इसमें प्रभावित गांवों के प्रतिनिधि होंगे।

पुनर्वास कार्यवाही योजना के लिए अनुमानित बजट रू 50 लाख का है जिसमें परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए विभिन्न भत्ते और सहायता शामिल है जैसा कि ई एस आई ए के हकदारी ढांचे में दिया गया है।

कम्पनी द्वारा परियोजना के निर्माण के दौरान परियोजना के लिए जिनकी भूमि ली जा रही है प्रत्येक ऐसे परिवार से कम से कम एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराएगी।

2.9.2 पर्यावरणीय कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन

कुछ ग्रामवासियों ने यह महसूस किया है कि यद्यपि कम्पनी ने जलागम क्षेत्र उपचार योजना और अनुपूरक वनरोपण के लिए, राशि जमा करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति प्रकट की है, पर्यावरणीय न्यूनीकरण और मानिटरिंग योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों की चिंताओं को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी।

- पर्यावरण एंव वन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण सुरक्षा और प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वैधानिक रूप से अनुमोदित पर्यावरण कार्रवाई योजना के अनुपालन के लिए कम्पनी बाध्य है।
- कम्पनी ने परियोजना के लिए तैयार की गई पर्यावरणीय एवं सामाजिक योजना के कार्यान्वयन, प्रबंध और निगरानी के लिए परियोजना स्थल पर स्वतंत्र पर्यावरण एवं सामाजिक सैल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- पर्यावरण एवं सामाजिक प्रंबध एव निगरानी योजना के अंतर्गत समस्त निगरानी कार्य प्रतिभागी रूप में किया जाएगा जिसमें प्रभावित ग्रामवासियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबन्धन एवं मानिटिरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट अनुमान लगभग रू 10.2 करोड़ का है।

2.9.3 अनुपालन तंत्र की विश्वसनीयता

कुछ ग्रामवासियों ने यह शंका जताई है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित तंत्रों की सभी प्रस्तावित प्रभाव न्यूनीकरण उपायों के साथ इनका अनुपालन सुनिश्चित करना विश्वसनीय नहीं है। उनकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने विश्वसनीय अनुपालन तंत्र को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं

- एक शिकायत निवारक सैल मई 2004 में स्थापित किया गया था जो प्रभावित ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायत पर ग्रामवासियों के साथ बैठकों में विचार करेगा और इन पर कार्यवाही करेगाः तथा

- कम्पनी द्वारा दिनांक 24 जून 2004 को जारी आदेश के द्वारा कम्पनी ने एक पृथक समिति का गठन किया है जिसमें प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया जो स्वतंत्र अपील तंत्र के रूप में शिकायतों को दूर करने तथा शिकायत निवारक सैल के उपयुक्त रूप से कार्य करना सुनिश्चित करेगा।

3.0 सार्वजनिक विचार विमर्श प्रक्रिया तथा कम्पनी द्वारा सहमत न्यूनीकरण उपायों में उठाए गए मामलों का विवरण

सार्वजनिक विचार विमर्श प्रक्रिया के दौरान, परियोजना प्रभावित ग्रामवासियों तथा अन्यों द्वारा उठाए गए मूल मुद्दों को पिछले कुछ महिनों में मैट्रिक्स प्रपत्र में (तालिकाएं 3.1 तथा 3.2) प्रारूप ई एस आई रिपोर्ट के एक परिशिष्ट के रूप में एकत्रित किया गया है। प्रारूप ई एस आई के सम्बधित संलग्नकों को भी अनुभाग 5 में प्रस्तुत किया गया है चर्चा किए गए मुल विषयों की सूची को तालिका 3.1 के रूप में दिया गया है।

तालिका 3.1 मुल विषयों की विषय सूची की तालिका

क्रम सं0	मूल विषय
1.	विद्युत मांग की विपरीत प्रत्याक्षा
2.	सार्वजनिक विचार-विमर्श तथा प्रकटीकरण योजना (पीसीडीपी)
3.	निजि भूमि का अधिग्रहण
4.	अपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
5.	पहली ई आई ए रिपोर्टो को उपलब्ध कराया जाए
6.	पारेषण प्रभाव मूल्याकंन
7.	पीने तथा सिंचाई का जल
8.	वन
9.	वायू गुणवत्ता
10.	श्रमिकों के लिए ईधन-लकड़ी, आदि
11.	चारागाहों पर प्रभाव तथा पहुंचने के रास्ते
12.	मलबा निपटान
13.	वन्य जीवन प्रवास तथा वनस्पति पर प्रभाव
14.	मत्स्यकी पर प्रभाव
15.	ग्लेश्यिरों के सम्भावित "सिकुड़ने " पर विचार नहीं किया गया
16.	महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा
17.	क्षेत्र में श्रमिकों का आवागमन
18.	ठोस अपशिष्ट निपटान
19.	अपशिष्ट जल उपचार
20.	ध्वनि प्रदुषण
21.	ब्लास्टिंग(विस्फोट)
22.	जलाश्य सुरक्षा
23.	प्राकृतिक जोखिमों के कारण खतरा अर्थात भूचाल, जंगल की आग, भूस्खलन, आदि
24.	श्रमिकों का सम्भाव्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
25.	सेब की फसल पर प्रभाव
26.	आलू के बीजों की उपलब्धता

27. रोजगार के अवसर
28. स्थानीय संस्कृति एवं पर्यटन पर प्रभाव
29. जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हे भूमि के बदले भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया गया
30. धार्मिक भावनाएं
31. शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता
32. परियोजना सड़कों पर सार्वजनिक आवागमन
33. शमशान भूमि तक पहुंचने के रास्ते
34. सार्वजनिक रास्तों पर प्रकाश तथा बिजली का प्रावधान
35. जगतसुख के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता
36. पुर्नवास कार्यवाही योजना का क्रियान्वयन
37. पर्यावरणीय कार्यवाही योजना का क्रियान्वयन
38. विश्वसनीय अनुपालन तंत्र की कमी